



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 260  
KM — 30  
Delhi — 10  
CPB — 220  
पुरा किया

सं. 264]  
No. 264]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2004

सा.का.नि. 375(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा (i) कमांडर तटरक्षक, जिला मुख्यालय सं. 1, पोरबंदर, तथा (ii) प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में क्रमशः तटरक्षक और सुरक्षा सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 14-5-2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि के बाद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

तालिका

3. कमांडर तटरक्षक, जिला मुख्यालय सं. 1, पोरबंदर	तटरक्षक का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
4. प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा. सं. पीटी-18011/13/2003-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2004

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Commander Coast Guard, District Head Quarter No. 1, Porbander, and (ii) Naval Officer-in-Charge, Gujarat, as trustees to represent Coast Guard and Defence Services respectively on the Board of Trustees for the Port of Kandla and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 332(E) dated 14-5-2004.

2. In the said notification, after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

TABLE

3. Commander Coast Guard, District Head Quarter No. 1, Porbander	Representing Coast Guard.
4. Naval Officer-in-Charge, Gujarat	Representing Defence Services.

[F.No. PT-18011/13/2003-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.